



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082022-237951  
CG-DL-E-05082022-237951

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3535]  
No. 3535]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 5, 2022/श्रावण 14, 1944  
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 5, 2022/SHRAVANA 14, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2022

सं. 24/2015-2020

**विषय:** आईटीसी (एचएस), 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 29 के अंतर्गत एचएस कोड 29021100 की आयात नीतिगत शर्त में संशोधन।

**का.आ. 3702(अ).**—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 3 और धारा 5 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची-I (आयात नीति) के अध्याय 29 के अंतर्गत एचएस कोड 29021100 की नीतिगत शर्त को निम्नानुसार संशोधित करती है:—

एचएस कोड	मद विवरण	आयात नीति	मौजूदा नीतिगत शर्त	संशोधित नीतिगत शर्त
29021100	साइक्लेन्स, साइक्लेन्स और साइक्लोटरपेन्स: -- साइक्लोहेक्सेन	मुक्त	हेक्सेन, फूड ग्रेड का आयात आईएस 3470 के अनुरूप होना चाहिए।	हटा दिया गया है।

2. तदनुसार, आईटीसी (एचएस) 2022-अनुसूची-I-आयात नीति के परिशिष्ट III की क्रम सं. 52 पर "हेक्सेन, फूड ग्रेड" को "अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन" के अंतर्गत मदों की सूची से हटाया जाता है।

3. **इस अधिसूचना का प्रभाव:**

“हेक्सेन, फूड ग्रेड” के आयात हेतु बीआईएस प्रमाणन की आवश्यकता को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है।  
इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/89/180/विविध-3/एएम-04/पीसी-2(क)/खंड-III/ई-141]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार  
एवं पदेन अपर सचिव

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**  
**(Department of Commerce)**  
**(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 4th August, 2022

**No. 24/2015-2020**

**Subject:** Amendment in Import Policy Condition of HS code 29021100 under Chapter 29 of ITC (HS) 2022, Schedule – I (Import Policy)

**S.O. 3702(E).**— In exercise of powers conferred by Section 3 and Section 5 of FT (D&R) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2015-2020, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the policy condition of HS code 29021100 under Chapter 29 of ITC (HS) 2022, Schedule – I (Import Policy) as under:

HS code	Item description	Import Policy	Existing Policy Condition	Revised Policy Condition
29021100	Cyclanes, cyclenes and cycloterpenes: -- Cyclohexane	Free	Imports of Hexane, Food Grade must conform to IS 3470	Deleted

2. Accordingly, "Hexane, Food Grade" at Sl. No. 52 of Appendix III to Schedule 1 - Import Policy-ITC(HS) 2022, is removed from the list of 'Items under mandatory BIS certification'.

3. **Effect of this Notification:**

The requirement for BIS certification for import of "Hexane, Food Grade" is removed, with immediate effect.

This issues with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/Misc-3/AM-04/PC-2[A]/Vol-III/E-141]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade  
& Ex- officio Addl. Secy.